

उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद्

संयुक्त प्रवेश परीक्षा एवं प्रशिक्षण अनुसंधान विकास प्रकोष्ठ, अपर आमवाला देहरादून

समाज कल्याण विभाग में सहायक समाज कल्याण अधिकारी के रिक्त पदों पर भर्ती के चयन परिणाम घोषणा

विज्ञापन सं० 12470/उप्राशिप/स०ग०भ०-प०को० 266/अ०च०परि०/2016-17 दिनांक: 10/03/2017

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर समूह 'ग' के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 4057/उप्राशिप/स०ग०भ०प०/2014 दिनांक. 8/2/14, 4063/उप्राशिप/स०ग०भ०प०/2014 दिनांक. 9/2/14 एवं 4070/उप्राशिप/स०ग०भ०प०/2014 दिनांक. 10/2/14 के माध्यम से समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत सहायक समाज कल्याण अधिकारी के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। लिखित परीक्षा का आयोजन दिनांक 21 दिसम्बर 2014 को किया गया। लिखित परीक्षा के उपरान्त परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों के प्राप्तियों के आधार पर अभ्यर्थियों को उनके अभिलेख सत्यापन हेतु दिनांक 10 अप्रैल 2015 को प्रातः 11.00 बजे 'उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद्, राजकीय पालीटेकनिक पितृवाला परिसर देहरादून' में आमंत्रित किया गया। अभिलेख सत्यापन के उपरान्त विज्ञापन सं० 54/उप्राशिप/स०ग०भ०-प०को० 266/अ०च०परि०/2015-16 दिनांक 13/4/2015 के माध्यम से 32 रिक्तियों के सापेक्ष 31 अभ्यर्थियों की अंतिम चयन सूची जारी की गयी। 1 अनुपस्थित अभ्यर्थी के सापेक्ष अभ्यर्थी को विज्ञापन सं० 4023/उप्राशिप/स०ग०भ०-प०को० 266/अ०सत्या०/2015-16 दिनांक: 21/11/2015 के माध्यम से अभिलेख सत्यापन में आमंत्रित कर चयन की संस्तुति की गयी। तृतीय चरण के अभिलेख सत्यापन हेतु दिनांक 28 फरवरी 2017 को पूर्वान्ह 11.00 बजे संयुक्त प्रवेश परीक्षा एवं प्रशिक्षण अनुसंधान विकास प्रकोष्ठ, अपर आमवाला देहरादून में आमंत्रित किया गया। अभिलेख सत्यापन के उपरान्त निम्नवत अभ्यर्थियों के चयन की संस्तुति की जाती है:-

पदकोड- 266 पदनाम : सहायक समाज कल्याण अधिकारी

क्र०सं०	अभ्यर्थी का नाम	जन्म तिथि	श्रेणी/ उप श्रेणी	अनुक्रमांक	प्राप्तांक
1.	RAKESH CHANDRA JOSHI	02-07-1983	GEN	3661516036	92.5

उपरोक्तानुसार तालिका में प्रदर्शित अभ्यर्थी के चयन की संस्तुति की जाती है। अभ्यर्थी की मूल फाईल सम्बन्धित विभाग को उपलब्ध करायी जा रही है। उक्त सूची में चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र सम्बन्धित विभाग के नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा।

सचिव